



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

४ प्राक्कित १९३८ (सं०)

(सं० पटना ७४९)

पटना, मंगलवार २६ सितम्बर, २००६

संज्ञिक (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

प्राक्कित

२३ सितम्बर, २००६

सं० सं० भा० वि० सं० (संजी) ४०२३/२००६-७२७—बिहार के मंत्री (बैतन एवं भत्ते) अधिनियम सं० १५/२००६ की धारा-४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

नियमावली

१. (१) यह नियमावली बिहार के मंत्री (बैतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ कड़ी या सड़ों की।
- (२) यह १वीं सन्तुष्ट, २००६ से प्रभावी होगी।
२. इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार मंत्रियों के (बैतन एवं भत्ते) अधिनियम, २००६;
 - (ख) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है मंत्री को नियुक्ति या हटाए जाने के लिए दी जानेवाली अधिसूचना का अर्थ है।
 - (ग) "परिवार" से तात्पर्य है मंत्री के पत्नी, पति, अश्विनी प्रवृत्त, पुत्री, अथवा ऐसे माता/पिता जो पूर्णतः मंत्री पर आश्रित हों;
 - (घ) "मंजूर" से अभिप्रेत है अधिसूचना के अनुच्छेद-१०४ के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त अर्थी;
 - (ङ) "करदाता" से अभिप्रेत है बिहार विधान-मंडल के किसी भी सदन का सदस्य;
 - (च) "माता भत्ता" से अभिप्रेत है ऐसा भत्ता जो लोक सेवा के लिए मंत्री द्वारा की गई माता हेतु अनुमान्य हो और उसके दैनिक भत्ता भी सम्मिलित है।
 - (छ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार।
३. सरकार प्रदत्त करने के लिए "माता-भत्ता"—मूल्य मंत्री/मंत्री की परभार प्रदत्त करने के निमित्त देना या न देना के माता करने पर निम्नलिखित मन्त्र अनुमान्य होंगे—
 - (क) ट्रेड से माता करने पर माता-भत्ता प्रथम श्रेणी/माता-भत्ता प्रदत्त प्रथम श्रेणी की एक मोर का माता-भत्ता;
 - (ख) उनके साथ माता करनेवाले परिवार के ऐसे सदस्य, जो वस्तुतः उनके साथ रहते हों, उन्हें उन्हीं श्रेणी में माता कर सकेंगे। परन्तु बावजूब में उनके द्वारा उक्त श्रेणी में माता की नहीं हो;
 - (ग) यदि वह से माता किए हों अथवा प्रसंगत: इस एवं प्रसंगत: ट्रेड से अथवा जन मान्य से माता किए हों तो माता पर किए गए आर्थिक व्यय भी साथ उन्हें सुगम होनी;

4. मंत्रियों का वेतन। -
- (क) मुख्य मंत्री एवं मंत्री को बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में देय वेतन अनुमान्य होगा।
- (ख) ऐसे मुख्य मंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री/ जो बिहार विधान मण्डल के किसी सदस्य के सदस्य नहीं हैं, उन्हें वही वेतन देय होगा, जो किसी सदस्य के सदस्य को मिलता है।
- परन्तु यह कि उन्हें यह सुविधा शपथ ग्रहण की तिथि से 6 माह तक ही प्राप्त होगी।
5. क्षेत्रीय भत्ता। - मुख्य मंत्री/मंत्री सदस्य के रूप में अनुमोदित क्षेत्रीय भत्ता पाने के हकदार होंगे।
6. आतिथ्य भत्ता। - मुख्य मंत्री/मंत्री कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित दर पर आतिथ्य भत्ता के हकदार होंगे :-
- मुख्य मंत्री 18000/- रुपये प्रतिमाह
 मंत्री 14500/- रुपये प्रतिमाह
 राज्य मंत्री 14000/- रुपये प्रतिमाह
 उप मंत्री 13500/- रुपये प्रतिमाह
7. आवास की सुविधा। -
- (क) मुख्य मंत्री के हेतु भवन निर्माण विभाग, निर्धारित एवं सुसज्जित आवास उपलब्ध कराएगा तथा उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा।
- (ख) मंत्री, राज्य के नूतन राजधानी क्षेत्र में निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास के हकदार होंगे। उसका उपयोग वे अपने कामकाल एवं उसके बाद एक माह तक कर सकेंगे।
- (ग) ऐसे आवासों के अनुरक्षण के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यय भार बृद्धन नहीं करना पड़ेगा।
- (घ) ऐसे आवासों की साज-सज्जा एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।
- (ङ) मंत्री के आवासों की साज-सज्जा और अनुरक्षण पर खर्च, उस पैमाने और उस आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा, जो राज्य सरकार संकल्प/अनुदेशों के द्वारा विहित करे।
- (च) ऐसे आवासों में बिजली, पानी एवं अन्य स्थानीय करों का भुगतान सरकार के द्वारा किया जायेगा।
- स्पष्टीकरण :-** इस धारा के प्रयोजनार्थ आवास के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं।
8. वाहन की सुविधा। - मुख्य मंत्री/मंत्री के उपयोग के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ियों में प्रतिमाह आवश्यकतानुसार ईंधन की आपूर्ति मंत्री के

स्थापना विभाग के द्वारा करायी जायगी। गाड़ी के रख-रखाव की जिम्मेदारी मंत्री के स्थापना विभाग की होगी।

9. **सुरफरी फर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता। -**
 मुख्य मंत्री/मंत्री को,
 (क) निजी कार से सड़क मार्ग से की गयी यात्रा के लिए 10/- ₹0 प्रति किलोमीटर की दर से 'मोल-गत्ता' देय होगा।
 (ख) जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वारस्तविक खर्च भुगतय होगा।
 परन्तु जब वे अपनी गाड़ी से यात्रा करते हैं तथा नदी के पार जाना हो तो वे मोल भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल-परिवहन खर्च पाने के हकदार होंगे।
 उपरोक्त यात्राओं की अवधि के लिये नियम 11 के अधीन दैनिक भत्ता देय होगा।
10. **हवाई जहाज से यात्रा की सुविधायें। -**
 सरकारी यात्रा -
 (क) मुख्य मंत्री एक्जिक््यूटिव श्रेणी/प्रथम श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकेंगे।
 (ख) मंत्री एक्जिक््यूटिव श्रेणी/प्रथम श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकेंगे।
 मुख्य मंत्री/मंत्री को उपरोक्त यात्रा के लिए इस नियमावली के नियम 11 के अधीन दैनिक भत्ता भी अनुमान्य होगा।
11. **दैनिक-भत्ता। -** मुख्य मंत्री/मंत्री 500 ₹0 प्रतिदिन की दर से पूरे माह के लिए दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।
 परन्तु राज्य के बाहर यात्रा करने पर 1000/- ₹0 प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।
12. **दूरभाष की सुविधा। -**
 (क) मुख्य मंत्री की आवश्यकता के अनुसार कार्यालय एवं आवास पर दूरभाष की सुविधायें प्राप्त होगी।
 (ख) मंत्री के कार्यालय एवं आवास पर आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ एक-एक दूरभाष की सुविधा प्राप्त होगी।
 मंत्री के कार्यालय/आवास पर उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनकी स्थापना के विभाग की होगी।
13. **चिकित्सा सुविधायें। -** मुख्य मंत्री/मंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों को अखिल भारतीय सेवा के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों के समान निःशुल्क चिकित्सा की सुविधायें प्राप्त होगी।
14. **रेलवे कूपन की सुविधायें। -** मुख्य मंत्री/मंत्री को निजी यात्रा के लिये रेलवे-कूपन की वही सुविधायें प्राप्त होंगी, जो सदस्य के रूप में उन्हें अनुमान्य हैं।

विदेश यात्रा की सुविधा एवं अनुमान्य भत्ते। -

- (क) मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री की सहमति से विदेश यात्रा पर जा सकेंगे। उन्हें भारत सरकार के मंत्री के समान सुविधायें अनुमान्य होंगी।
- (ख) मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुमति लेकर सरकारी कार्य से विदेश जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें भारत सरकार के राज्य मंत्री के समान सुविधायें अनुमान्य होंगी।

कार अग्रिम। - मुख्य मंत्री/मंत्री को विधान मंडल के सदस्यों के रूप में अनुमान्य कार अग्रिम देय होगा एवं अग्रिम के वापसी विधान मंडल के सदस्यों पर लागू शर्तों के अनुरूप ही होगा।

मुख्य मंत्री/मंत्री, अपना पद-त्याग करने के बाद इस नियमावली के नियम 3 के अधीन यात्रा-भत्ता की सुविधा के हकदार होंगे।

निजी कर्मियों की सुविधा। - इस नियमावली की अनुसूची-1 के अनुसार निजी कर्मियों की सुविधायें अनुमान्य होंगी।

राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या करने तथा समय-समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति। -

- (i) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेंगी :-
- (1) बिहार के मंत्री (भत्ता) नियमावली, 1953
 - (2) बिहार के उपमंत्री के (भत्ता) नियमावली, 1954
 - (3) बिहार के मंत्री का मोटर कार अग्रिम नियमावली, 1953
 - (4) बिहार के उपमंत्री का मोटर कार नियमावली, 1953
- (ii) इस नियमावली के होते हुए भी पूर्व नियमावलियों के प्रावधानों के अधीन की गयी यात्राओं पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

भोगेन्द्र झा,
सरकार के उप-सचिव।

अनुसूची - 1

मंत्रियों को निजी कर्मचारियों की सुविधा निम्न प्रकार से अनुमान्य होगी :-

| क्र. सं० | महानुभाव | आप्त सचिव | निजी सहायक | निम्नवर्गीय लिपिक | आदेशपाल |
|----------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मुख्य मंत्री/मंत्री | 02 (राजपत्रित पदा०-1, वाह्य-1) | 02 (सरकारी /वाह्य) | 01 (सरकारी/वाह्य) | 03 (सरकारी/वाह्य व्यक्ति) |
| 2. | राज्य मंत्री | 02 (राजपत्रित पदा०-1, वाह्य-1) | 02 (सरकारी /वाह्य) | 01 (सरकारी/वाह्य) | 02 (सरकारी/वाह्य व्यक्ति) |
| 3. | उप मंत्री | 01 (राजपत्रित पदा०) | 02 (सरकारी /वाह्य) | 01 (सरकारी/वाह्य) | 02 (सरकारी/वाह्य व्यक्ति) |

नोट :-

- (i) मंत्रियों के आप्त सचिव राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।
- (ii) सरकारी कोटा के आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति मंत्री की अध्याचना पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जायेगी। आदेशपाल की प्रतिनियुक्ति मंत्री के स्थापना विभाग द्वारा की जायेगी।
- (iii) वाह्य सेवा के आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक/आदेशपाल की नियुक्ति संबंधित मंत्री के द्वारा स्वेच्छा से की जायेगी। उपरोक्त वाह्य व्यक्ति की सेवा सर्वथा अस्थायी होगी और मंत्री के कार्यकाल तक ही सीमित होगी। इसके पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें मंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त वाह्य व्यक्तियों को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियत वेतन एवं अनुमान्य महंगाई भत्ता अनुमान्य होगी।